फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

सरकार बनाम कैलाशचन्द वगै0

मुकदमा नं0 :– 17 / 2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19.06.025	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 उपस्थित। प्रतिवादी सं0 2 अनुपस्थित। प्रतिवादी सं0 2 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रतिवादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20.06.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	
	20.06.2025	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादांकित भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगणों के नाम नही है। वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में अभिलिखित खातेदार मै0 गोवर्धन धाम प्रोपर्टीज जरिये भागीदार राजेश कुमार राजोरिया पुत्र रामजीलाल राजोरिया हि0 1/2 जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 10, सोहन नगर, गोनेर रोड, जयपुर व विमला मीणा पत्नि गोपाल लाल मीणा हि0 1/2 जाति मीणा निवासी प्लाट नं. सी–4, आरबीआई कॉलोनी टीलावाला जयपुर है तथा उक्त भूमि में किसी प्रकार से कॉलोनी डवलवप नही की है ना ही मौके पर किसी प्रकार का आवासीय कॉलोनी बसावट की है। प्रार्थी ने मिथ्या आधारों पर शिकायतकर्ता द्वारा व बिना किसी प्रमाणिकृत सोसायटी के नक्शें के व बिना स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित कॉलोनी प्रस्तावित नक्शा के आधार पर गलत प्रकरण पेश किया है। जो विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विरूद्व व खातेदारों के अधिकारो के विरूद्व पेश किये जाने से निरस्त किया जावें। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट के साथ किसी प्रकार का कोई आवासीय निर्माण की फोटो संलग्न नही की है, ना किसी स्वतन्त्र साक्षी के समक्ष मौके पर गैर कृषि कार्य होने के बयान व दस्तावेज पेश किये है। वास्तविक रूप में अप्रार्थीगण का परिवार काफी बडा परिवार है जिसमें करीब 60 सदस्य है जिन्होने अपने पैतृक पूर्व मकानों के जर्जर हो जाने से उक्त भूमि पर अपने निजी आवाज बनाने व निजी कृषि फार्म के उपयोग के लिये इसे समतलीकरण किया गया था ओर उसी के उपयोग के लिये कच्ची मिटटी को फार्म हाउस के उपयोग हेतु रास्ते के रूप में बनाई गई थी जिसकी झुठी शिकायत जेडीए में देने पर अप्रार्थीगण की भूमि में पर समतलीकरण कार्य रूकवा दिया था। उक्त भूमि खसरा नम्बर 144 पर अपने नीजि रहवास हेतु मकान बनाने की मनोस्थिति चैज कर ली ओर उक्त भूमि को दिसम्बर 2024 में ही जरिये रजि0 विकय पत्र से कृषि भूमि की हैसियत से बैचान कर दिया जिसका नामा0 होकर जमाबन्दी बन चुकी है तथा मौके पर खातेदार काबिज हो चुके है। जो अपना कृषि कार्य करते है। अतः तहसीलदार ने बिना जमाबन्दी का अवलोकन किये व बिना दस्तावेजों की जॉच किये व बिना मौके देखे व बिना किसी सोसायटी के पटटे के ही व बिना अनुप्रमाणित नक्शें के जिसमें किसी भी सोसायटी का नाम है, ना ही नक्शे में खसरा नम्बर दर्शित है, न ही अप्रार्थीगण व खातेदारान के हस्ताक्षर है, न ही सोयायटी के रजि0 नम्बर है को आधार बनाकर मिथ्या रूप से प्ररकण पेश किया है जो कानूनन खारिज फरमाया जावें। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अवगत कराया कि ग्राम चावण्ड का मण्ड के आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 2.10है0 भूमि किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.01है0 किस्म गै.मु.चाह मौका गोवर्धन धाम प्रोपर्टीज 1/2, विमला मीना पत्नी गोपाल लाल मीना हि0 1/2 के उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	

नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि फर्द मौका अनुसार मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नही है। मौके पर खातेदार व उपस्थित मिले अन्य मौतबिरानों के अनुसार पूर्व खातेदारों ने मौके पर बंटवारा करने के लिए रास्ते बनाये थे। बाद में पूर्व खातेदारों का मन बदल जाने के कारण उक्त भूमि वर्तमान खातेदारान के कर दिया जिसका नामा0 सं0 235 दिनांक 18.12.2024 दर्ज किया गया। मौके पर पेड लगे हुए है व कोई आवासीय या कॉलोनी विकसित किये जाने संबंधी कोई निर्माण मौके पर नही है। मौके पर उपस्थित खातेदारान ने भी किसी भी प्रकार के गैर कृषि उपयोग पूर्व में नही करने का निवेदन किया गया है। मौके पर वर्तमान खातेदारों द्वारा पेड लगाये हुए है। अतः मौके पर बताये अनुसार वर्तमान व पूर्व में उक्त भूमि का गैर कृषि उपयोग नही हुआ है।

पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट, जवाब प्रतिवादीगणों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं बहस का मनन करने पर पाया कि ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादांकित भूमि खसरा नम्बर 144 रकबा 2.1000है0 किस्म बारानी 2 पर वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खातेदारान द्वारा मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के मौके पर पेड लगाये हुए है तथा वर्तमान व पूर्व में उक्त भूमि का गैर कृषि कार्य में उपयोग नही लिया जा रहा है तथा उक्त भूमि का प्रतिवादीगणों ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा मै0 गोवर्धन धाम प्रोपर्टीज जरिये भागीदार राजेश कुमार राजोरिया पुत्र रामजीलाल राजोरिया हि0 1/2 जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 10, सोहन नगर, गोनेर रोड, जयपुर व विमला मीणा पत्नि गोपाल लाल मीणा हि0 1/2 जाति मीणा निवासी प्लाट नं. सी–4, आरबीआई कॉलोनी टीलावाला जयपुर को बैचान कर दिया। जिसका नामा0 सं0 235 दिनांक 18.12.2024 को दर्ज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादांकित भूमि का स्वरूप वर्तमान में व पूर्व में परिवर्तन नही किया गया। प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही समझते है। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर